अनुक्रमणिका

भाग - क

जोखिम प्रबंधन.....5

खंड I

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के अलावा भारत में निवासी व्यक्तियों हेतु और अनिवासियों हेतु सुविधाएं 5

खंड II

[हटा दिया गया] 10

खंड III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I हेतु सुविधाएं.....10

भाग-ख

अनिवासी बैंकों के खाते.....15

भाग-ग

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन 18

भाग-घ

[हटा दिया गया] 23

भाग-ड़

रिज़र्व बैंक को रिपोर्टें.....24

अनुबंध I..... 27

अनुबंध II..... 31

अनुबंध III.. 34

अनुबंध IV.. 35

अनुबंध V 36

अनुबंध VI..... 37

अनुबंध VII..... 38

अनुबंध VIII 39

अनुबंध IX..... 41

अनुबंध X 42

अनुबंध XI..... 43

अनुबंध XII 44
अनुबंध XIII..... 45
अनुबंध XIV..... 46
अनुबंध XV..... 46
अनुबंध XVI 47
अनुबंध XVII 47
अनुबंध XVIII 47
अनुबंध XIX 47
अनुबंध XX 48
अनुबंध XXI..... 49
परिशिष्ट..... 51

भाग - क

जोखिम प्रबंधन

खंड I

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - 1 के अलावा भारत में निवासी और अनिवासियों के लिए सुविधाएं

1. परिभाषाएँ

i. प्रत्याशित एक्सपोजर - फेमा, 1999 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों के तहत अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन के कारण विदेशी मुद्रा की तुलना में आईएनआर की विनिमय दर का एक्सपोजर, जिसे भविष्य में दर्ज किए जाने की उम्मीद है।

ii. संविदागत एक्सपोजर - फेमा, 1999 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों के तहत अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन के कारण विदेशी मुद्रा की तुलना में आईएनआर की विनिमय दर का एक्सपोजर, जो पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

iii. उक्त (i) और (ii) के प्रयोजन के लिए, एक्सपोजर शब्द में निवासियों के बीच होने वाले वह लेनदेन से उत्पन्न लेनदेन भी शामिल होंगे जो विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं लेकिन आईएनआर में निपटान किए जाते हैं या विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए हैं या विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बेंचमार्क से जुड़े हैं।

iv. हेजिंग - प्रत्याशित या संविदागत एक्सपोजर के प्रभाव को समायोजित करने हेतु व्युत्पन्नी संविदा करने की गतिविधि।

v. उपयोगकर्ता – फेमा, 1999 के पैरा 2 (यू) के तहत परिभाषित कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारत का निवासी हो अथवा अनिवासी हो।

vi. वित्तीय क्षेत्र नियामक का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण जो भारतीय कानूनों के तहत वित्तीय संस्थान को विनियमित करने का अधिकार रखता हो।

vii. कवर्ड कॉल (पुट) ऑप्शन का अर्थ है एक लिखित ऑप्शन जहां राइटर के पास ऑप्शन अंतर्निहित संपत्ति में एक लॉंग (शॉर्ट) स्थिति है।

viii. 'सेबी' का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होगा।

ix. 'आईआरडीएआई' का अर्थ बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के तहत स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण होगा।

x. 'पीएफआरडीए' का अर्थ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के तहत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण होगा।

xi. निवल मालियत का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 2 (57) में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

xii. 'गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी)' का अर्थ है एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा जिसमें संविदा की अंतर्निहित मुद्राओं की नॉशनल राशि की कोई डिलीवरी नहीं होती है और जिसका नकद निपटान किया जाता है।

xiii. एक्सचेंजों का अर्थ 'मान्यता प्राप्त शेयर बाजार' (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में स्थापित शेयर बाजारों को छोड़कर) होगा और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) में निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार होगा।

2. प्राधिकृत व्यापारियों के लिए निर्देश

क. सामान्य निदेश

i. प्राधिकृत व्यापारी इस दिशा में अनुबंध XXI में प्रदान किए गए उपयोगकर्ता वर्गीकरण रूपरेखा के अनुसार एक उपयोगकर्ता को वर्गीकृत करेंगे और प्रत्येक मामले में लागू दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

ii. प्राधिकृत व्यापारी उपर्युक्त पैरा (i) में उपयोगकर्ता के वर्गीकरण के अनुसार उपयोगकर्ता को व्युत्पन्नी संविदा प्रदान करेंगे। अनिवासियों को दिए जाने वाले एनडीडीसी के अलावा, किसी उपयोगकर्ता को आईएनआर से जुड़े व्युत्पन्नी संविदा की पेशकश करते समय, और ऐसे संविदाओं के कार्यावधि के दौरान, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करेंगे कि:

क) इन निदेशो में दी गई परिभाषा के अनुसार संविदा, हेजिंग के उद्देश्य से की गई है।

ख) संविदा की नॉशनल और परिपक्वता काल एक्सपोजर के कीमत और परिपक्वता काल से अधिक न हो।

ग) किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके उसी एक्सपोजर को हेज न किया गया हों।

घ) यदि एक्सपोजर पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो उपयोगकर्ता ने उपरोक्त "बी" का पालन सुनिश्चित करने के लिए हेज को उचित रूप से समायोजित किया हो, जब तक कि मूल व्युत्पन्नी संविदा को किसी अन्य अनहेज्ड एक्सपोजर के विरूद्ध समनुदेशित नहीं किया जाता है। यदि प्राधिकृत व्यापारी की सुविचारित राय में, एक्सपोजर में परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, तो हेज में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

ड़) ऐसे मामलों में जहां एक्सपोजर का कीमत व्युत्पन्नी के नॉशनल से कम हो जाता है, नॉशनल को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए जब तक कि एक्सपोजर के बाजार कीमत में परिवर्तन के कारण ऐसा विचलन न हो, इस स्थिति में उपयोगकर्ता अपने विवेक पर, अपनी मूल परिपक्वता तक व्युत्पन्नी संविदा के साथ जारी रख सकता है।

च) जहां एक्सपोजर का कीमत निश्चित करने योग्य नहीं है, व्युत्पन्नी संविदा उचित अनुमानों के आधार पर बुक किए जा सकते हैं। उपर्युक्त (घ) और (ङ) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अनुमानों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

iii. प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को व्युत्पन्नी संविदाओं को स्वतंत्र रूप से रद्द करने और फिर से बुक करने की अनुमति देंगे। तथापि, प्रत्याशित एक्सपोजर को हेज करने के लिए बुक किए गए संविदाओं पर निवल लाभ (नुकसान के अतिरिक्त लाभ यदि कोई हो) केवल प्रत्याशित लेनदेन के नकदी प्रवाह के समय पात्र उपयोगकर्ता को दिया जाएगा। पार्ट डिलीवरी के मामले में, निवल लाभ यथानुपात आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा।

iv. प्राधिकृत व्यापारी, असाधारण मामलों में, प्रत्याशित एक्सपोजर की हेजिंग के लिए बुक किए गए संविदाओं पर निवल लाभ दे सकते हैं, जिनका अंतर्निहित नकदी प्रवाह पूर्ण नहीं हुआ है, बशर्ते यह सुनिश्चित हो कि नकदी प्रवाह की अनुपस्थिति उन कारकों के कारण है जो उपयोगकर्ता के नियंत्रण से बाहर हैं। विशिष्ट औचित्य सहित ऐसे उदाहरणों को प्राधिकृत व्यापारी द्वारा रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।

v. सभी व्युत्पन्नी संविदाएं, व्युत्पन्नियों पर व्यापक दिशा-निर्देश (समय-समय पर यथासंशोधित) दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के परिपत्र सं.डीबीओडी.सं.बीपीबीसी.86/21/21.04.157/2006-07 के तहत निर्धारित उपयुक्तता और औचित्यता नीति के अधीन होंगें।

vi. एक्सचेंजों पर लेन-देन की निगरानी के उद्देश्य से उपयोगकर्ता द्वारा विशेष रूप से नामित

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी एक्सचेंजों पर आईएनआर से जुड़े सभी संविदाओं में उपयोगकर्ता की सभी स्थिति आईएनआर के संविदागत एक्सपोजर द्वारा समर्थित हो।

vii. प्राधिकृत व्यापारी पात्र उपयोगकर्ताओं से ऐसे दस्तावेज मांग सकते हैं जो वे इन निदेशों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझते हो।

viii. प्राधिकृत व्यापारी, जब तक कि उन्हे रिज़र्व बैंक द्वारा उन संविदाओं, जिनमें आईएनआर शामिल नहीं है, में बही-खाते चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है, ऐसे संविदाओं को पूरी तरह से संरक्षित किए गए बैक-टू-बैक आधार पर पेश करेंगे।

ix. पूर्व निदेशों के प्रावधानों के तहत बुक किए गए मौजूदा संविदाओं को उनकी समाप्ति की तारीख तक जारी रखा जा सकता है।

x. भारत के बैंक जिनके पास फेमा, 1999 के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -1 लाइसेंस है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) का परिचालन कर रहे हैं (जैसा कि दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/533.डीबीआर.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 (समय-समय पर यथासंशोधित), अनिवासियों को रुपये या अन्यथा से जुड़े एनडीडीसी की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे। बैंक अपने आईबीयू के माध्यम से या भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से या अपनी विदेशी शाखाओं के माध्यम से (भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों के मामले में, मूल बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से) इस तरह के लेनदेन कर सकते हैं। इस तरह के लेनदेन को आईएनआर या किसी भी विदेशी मुद्रा में नकद-निपटान किया जा सकता है।

xi. भारत मे फेमा, 1999 के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I लाइसेंस रखने वाले और आईबीयू का परिचालन करने वाले बैंक उपर्युक्त पैरा 2(क) (ii) में निर्धारित निदेशों के अनुपालन के अध्यधीन भारत में अपनी शाखाओं से निवासी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को आईएनआर एनडीडीसी की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे। इस तरह के लेनदेन को रुपये में नकद-निपटान किया जाएगा।

ख. विशिष्ट निदेश

i. रुपये की देनदारी रखने वाली घरेलू गैर-खुदरा कंपनियां अपने विवेकानुसार मुद्रा स्वैप के माध्यम से इसे विदेशी मुद्रा देयता में परिवर्तित कर सकती हैं।

ii. आईएनआर से जुड़े व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए, प्राधिकृत व्यापारी एक उपयोगकर्ता को अंतर्निहित एक्सपोजर के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता के बिना नॉशनल कीमत (किसी भी समय बकाया) के बराबर 10 मिलियन अमेरीकी डालर तक व्युत्पन्नी संविदा बुक करने की अनुमति देंगे।

iii. प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी उपयोगकर्ता (या इसके केंद्रीय खजाने या इसकी समूह संस्था, जहां लागू हो) के साथ प्रत्यक्ष रूप से या विदेशी बैंक के माध्यम से ऐसे उपयोगकर्ता के समुद्रपारीय बैंक (प्राधिकृत व्यापारी की समुद्रपारीय शाखाओं सहित) या स्थानीय नियमों के अनुसार व्युत्पन्नी में सौदा करने के लिए पात्र अन्य समुद्रपारीय संस्थाओं के माध्यम से लेनदेन कर सकते हैं।

iv. अनिवासी उपयोगकर्ता के केंद्रीय खजाने के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि केंद्रीय खजाना उपयोगकर्ता द्वारा उसकी ओर से और उसके लिए लेनदेन करने हेतु उचित रूप से प्राधिकृत है।

v. प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि अनिवासी उपयोगकर्ता के मामले में हेज के लिए आनुषंगिक सभी देय राशियों को उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यावर्तनीय निधियों और/या सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक प्रेषण द्वारा पूरा किया जाता है।

3. एक्सचेंजों के लिए निर्देश

i. उपयोगकर्ता अंतर्निहित एक्सपोजर के अस्तित्व को स्थापित किए बिना, सभी मुद्रा जोड़े जिसमें आईएनआर शामिल हो, में 100 मिलियन अमेरीकी डॉलर के बराबर की एकल सीमा तक पॉजीशन (लॉंग या शॉर्ट) ले सकते हैं, जो एक साथ रखा हो, और सभी एक्सचेंजों में संयुक्त हो।

ii. मुद्रा व्युत्पन्नी की पेशकश करने के लिए आरबीआई द्वारा प्राधिकृत एक्सचेंज सभी एक्सचेंजों में आईएनआर से जुड़े संविदाओं में 100 मिलियन अमेरीकी डालर (या समकक्ष) से अधिक का पॉजीशन लेने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं को प्राधिकृत व्यापारी / संरक्षक नामित करने की सुविधा प्रदान करेंगे।

iii. पूर्व पैरा में उल्लिखित उपयोगकर्ताओं हेतु, एक्सचेंज नामित प्राधिकृत व्यापारी / संरक्षक को दिनांत खुली पॉजीशन के साथ-साथ उपयोगकर्ता के इंट्रा-डे उच्चतम पॉजीशन के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

iv. उपयोगकर्ता निदेशों का पालन करने हेतु जिम्मेदार होंगे। किसी भी उल्लंघन के मामले

में, उपयोगकर्ता विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

खंड II

[हटा दिया गया][1]

खंड III

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के लिए सुविधाएं

1. **बैंक की आस्ति – देयताओं का प्रबंध**

उपयोगकर्ता – प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

प्रयोजन – विदेशी मुद्रा आस्ति – देयता पोर्टफोलियो की ब्याज़ दर और मुद्रा जोखिम की हेजिंग

उत्पाद – ब्याज दर स्वैप, ब्याज दर कैप / कॉलर, करेंसी स्वैप, फॉरवर्ड रेट करार। प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी क्रास करेंसी स्वामित्व व्यापार पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल या पुट आपशन का क्रय भी कर सकते हैं ।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

इन लिखतों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(क) इस संबंध में उपयुक्त नीति उनके शीर्ष प्रबंध द्वारा अनुमोदित हो ।

(ख) हेज का कीमत और उसकी परिपक्वता निहित से अधिक न हो ।

(ग) कोई 'एकल आधार' पर लेनदेन शुरू नहीं किया जा सकता है । यदि हेज आंशिक या पूर्ण रूप से पोर्टफोलियो के संकुचन के कारण असुरक्षित (naked) हो जाती है, तो हेज मूल परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दी जाए और नियमित अंतराल पर बाज़ार के अनुसार मूल्यांकित की जाए ।

(घ) इन लेनदेनों से होने वाली निवल नकद आय, आय /व्यय के रूप में बुक की जाए तथा जहां कहीं लागू हो विदेशी मुद्रा स्थिति के रूप में परिगणित की जाए ।

[1] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

2. स्वर्ण कीमतों की हेजिंग

उपयोगकर्ता –

i. स्वर्ण जमा योजना के परिचालन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक

ii. बैंक, जिन्हें बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्त पर भारत में फॉरवर्ड स्वर्ण संविदाएं करने के लिए अनुमति दी गयी है (अंतर बैंक स्वर्ण सौदों से उत्पन्न स्थिति सहित)

प्रयोजन – स्वर्ण की कीमत-जोखिम को हेज करना

उत्पाद –उपलब्ध समुद्रपारीय एक्सचेंज़–ट्रेडेड और ओवर द काउंटर हेजिंग उत्पाद।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम व शर्तें

क) ऑप्शन वाले उत्पाद उपयोग करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से प्रीमियम की निवल प्राप्ति नहीं हो रही है ।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्राधिकृत बैंकों को स्वर्ण में निहित बिक्री, खरीद और ऋण के लेनदेन के लिए अपने ग्राहकों (स्वर्ण उत्पादों के निर्यातकों, स्वर्णाभूषण निर्माताओं, व्यापार गृहों, आदि) के साथ फॉरवर्ड संविदा करने के लिए अनुमति है । इस प्रकार की संविदाओं की मियाद छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. पूंजी की हेजिंग

उपयोगकर्ता – भारत में परिचालित विदेशी बैंक

उत्पाद – फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा संविदाएं

परिचालनात्मक दिशानिर्देश, नियम एवं शर्तें

क) टियर-I पूंजी –

(i) भारत में स्थानीय विनियामक और सीआरएआर की अपेक्षाओं के लिए पूंजीगत निधियाँ उपलब्ध होनी चाहिए और इसलिए पूंजीगत निधियां नोस्ट्रो खाते में पार्क नहीं करनी चाहिए । हेजिंग से उपचित होने वाली विदेशी मुद्रा निधिया नोस्ट्रो खाते में जमा नहीं की जानी चाहिए बल्कि भारत में बैंकों के पास स्वैपयुक्त रहनी चाहिए ।

ii) फॉरवर्ड संविदाएँ एक साल या उससे अधिक अवधि के लिए होनी चाहिए और परिपक्वता पर उन्हें आगे बढ़ाया (रोल-ओवर) जा सकता है । रद्द किए गए हेज की पुनः बुकिंग के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

ख) टियर-II पूंजी –

i) डीओबीडी परिपत्र संख्या आईबीएस.बीसी. 65/23.10.015/2001-02 दिनांक 14 फरवरी 2002 के अनुसार विदेशी बैंकों को हर समय स्वैप करके मुख्य कार्यालय उधार के रूप में सुबार्डिनेट डेट के तौर पर टीयर-II पूंजी को हेज़ करने की अनुमति है।

(ii) बैंकों को इनोवेटिव टियर-I / टियर-II बॉंड के संबंध में नियत दर रुपया देयताओं को फ्लोटिंग दर विदेशी मुद्रा देयताओं में परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा-आइएनआर स्वैप लेनदेन करने की अनुमति नहीं है ।

4. भारत में करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में सहभागिता

(क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, डीबीओडी अनुदेश डीबीओडी. संख्या. एफ़एसडी. बीसी. 29/24.01.001/2008-09 दिनांक 6 अगस्त 2008 से मार्गदर्शित होंगे।

(ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का पालन करने के शर्त के अधीन स्वयं अपने अथवा अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में व्यापार और समाशोधन सदस्य बन सकते हैं:

(i) 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत ।

(ii) दस प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर ।

(iii) निवल एनपीए 3% से अधिक न हों ।

(iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो ।

विवेकपूर्ण मानदंड पूरे करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक करेंसी फ्यूचर्स संविदाओं के क्रय-विक्रय तथा समाशोधन और जोखिम प्रबंधन हेतु अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें ।

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन एवं शर्तों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जो उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदंड पूरा नहीं करते और वे

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक जो कि शहरी सहकारी बैंक है या राज्य सहकारी बैंक हैं, करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में केवल ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं ।

घ) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, नेट ओपन पोजीशन (एनओपी) और कुल गैप (एजी) सीमाओं जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा में रहकर अपना कारोबार करेंगे । अपने नीजि खाते पर करेंसी फ्यूचर्स मार्केट में बैंकों के निवेश एनओपी और एजी सीमाओं का हिस्सा होंगे ।

5. भारत में एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट में सहभागिता

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का पालन करने के शर्त के अधीन स्वयं अपने अथवा अपने ग्राहकों की ओर से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के करेंसी ऑप्शंस मार्केट में व्यापार और समाशोधन सदस्य बन सकते हैं:

(i) 500 करोड़ रूपये की न्यूनतम निवल मालियत ।

(ii) दस प्रतिशत की न्यूनतम सीआरएआर ।

(iii) निवल एनपीए 3% से अधिक न हों ।

(iv) पिछले 3 वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो ।

विवेकपूर्ण मानदंड पूरे करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक करेंसी ऑप्शंस संविदाओं के क्रय-विक्रय तथा समाशोधन और जोखिम प्रबंधन हेतु अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित करें ।

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभागों के अनुमोदन एवं शर्तों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक जो उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदंड पूरा नहीं करते और वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक जो कि शहरी सहकारी बैंक है या राज्य सहकारी बैंक हैं, करेंसी ऑप्शन्स बाज़ार में केवल ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं ।

ग) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक, नेट ओपन पोजीशन (एनओपी) और कुल गैप (एजी) सीमाओं जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों की सीमा में रहकर अपना कारोबार करेंगे । स्वंय के लिए एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस में किए गए बैंक के ऑप्शंस पोज़िशन, एनओपी और एजी सीमाओं का हिस्सा होंगे।

6. ईटीसीडी बाजार में भाग ले रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश, निबंधन व शर्तें

(क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित सीमाओं (जोखिम प्रबंध और बाजार की अखंडता को संरक्षित करने के लिए) के अधीन अपनी नेट ओपन पोजीशन सीमा (एनओपीएल) में सभी अनुमत एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्नी में व्यापार कर सकते हैं बशर्ते कि कोई भी एक्सचेंज ट्रेडेड एफसीवाई – आइएनआर और क्रॉस करेंसी का मिश्रण से निर्मित सिन्थेटिक यूएसडी-आइएनआर स्थिति, एक्सचेंज द्वारा यूएसडी- आइएनआर संविदा के लिए निर्धारित सीमा में होगा।

(ख) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, ईटीसीडी बाजार में अपनी स्थिति को ओटीसी व्युत्पन्नी बाजारों में अपनी स्थिति के विरूद्ध नेट/ऑफसेट कर सकते है। विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए रिजर्व बैंक जब भी आवश्यक हो केवल ओटीसी बाजार के लिए एनओपीएल की एक उप-सीमा (उसके प्रतिशत के रूप में) निर्धारित कर सकता है।

भाग ख

अनिवासी बैंकों के खाते

1. सामान्य

(i) किसी अनिवासी बैंक के खाते में क्रेडिट देना अनिवासियों को भुगतान करने का अनुमत तरीका है और इसी कारण, यह विदेशी मुद्रा के अंतरण के लिए लागू विनियमों के अधीन है ।

(ii) किसी अनिवासी बैंक के खाते को डेबिट करना वास्तव में किसी विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण करना है ।

2. अनिवासी बैंकों के रूपया खाते

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व संदर्भित किए बिना, अपनी समुद्रपारीय शाखा अथवा प्रतिनिधियों के नाम से रुपया खाता (बिना ब्याज वाले) खोल/ बंद कर सकते हैं । पाकिस्तान से बाहर कार्यरत पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम में रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता है ।

3. अनिवासी बैंकों के खातों का निधीयन

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारत में अपनी सुसंगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने खातों में निधि रखने हेतु अपने समुद्रपारीय संपर्कों/ शाखाओं से प्रचलित बाज़ार दर पर विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद कर सकते हैं ।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुद्रपारीय बैंक, रुपये के संबंध में कोई सट्टेबाजी का रुख न अपनाएं, खाते में होने वाली लेनदेनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए । इस प्रकार की किसी भी घटना को भारतीय रिज़र्व बैंक की जानकारी में लाया जाए।

टिप्पणी: निधीयन के लिए रुपये के विरुद्ध विदेशी मुद्राओं का क्रय या विक्रय प्रतिबंधित है। अनिवासी बैंकों को टू वे दरों का प्रस्ताव भी प्रतिबंधित है।

4. अन्य खातों से अंतरण

उसी बैंक अथवा भिन्न बैंकों के खातों के बीच निधियों के मुक्त रूप से परस्पर अंतरण की अनुमति है ।

5. विदेशी मुद्राओं में रुपये का परिवर्तन

अनिवासी बैंकों के रुपये खाते में रखी शेष राशि विदेशी मुद्रा में मुक्त रूप से परिवर्तित की जा सकती है । इस प्रकार के सभी लेनदेन फार्म ए-2 में दर्ज किए जाएं और खाते में संबंधित डेबिट संबंधित विवरणियों के अधीन फॉर्म ए 3 में दर्ज किया जाए ।

6. भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता बैंकों की ज़िम्मेदारियां

खातों में क्रेडिट होने की स्थिति में भुगतानकर्ता बैंकर यह सुनिश्चित करे कि सभी विनियामक आवश्यकताएं पूरी की गई है। और यथास्थिति फॉर्म ए 1/ ए 2 में सही प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

7. रुपया विप्रेषणों की वापसी

रिफंड प्रतिपूरक स्वरूप के लेनदेनों के कवर में नहीं किए जा रहे हैं, यह संतुष्ट करने के बाद, आवक विप्रेषणों का निरसन या रिफंड रिज़र्व बैंक को संदर्भ किए बिना किया जा सकता है।

8. समुद्रपारीय शाखाओं/संपर्क कार्यालयों को ओवरड्राफ़्ट/ ऋण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, अपनी समुद्रपारीय शाखाओं/प्रतिनिधियों को कारोबारी सामन्य जरूरतें पूरी करने के लिए अधिकतम कुल 500 लाख रूपये तक के अस्थायी ओवरड्राअल की अनुमति दे सकते हैं । यह सीमा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक की सभी शाखाओं की बहियों में सभी समुद्रपारीय शाखाओं और प्रतिनिधियों पर बकाया राशि पर आधारित होती है । इस सुविधा का उपयोग खातों के निधीयन को स्थगित करने के लिये न किया जाए । यदि उक्त सीमा से अधिक के ओवरड्राफ़्ट का पांच दिन के भीतर समायोजन नहीं किया जाता है तो उसका कारण दर्शाते हुए उसकी रिपोर्ट महीने की समाप्ति के 15 दिन के भीतर मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को दी जाए । यदि व्यवस्था वैल्यू डेटिंग (value dating) के लिए है तो इस तरह की रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है ।

(ii) समुद्रपारीय बैंकों को उक्त (i) में उल्लिखित से अधिक कोई अन्य ऋण सुविधा देने के इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक, मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई -400001 की पूर्व अनुमति प्राप्त करें ।

9. निर्यात घरानों के रुपये खाते

भारत में निजी विप्रेषणों को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्यात घरानों के नाम में रुपया खाते खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। व्यापार लेनदेनों के वित्तीयन के लिए, 15,00,000 रुपए प्रति लेनदेन तक, निर्यात घरानों के माध्यम से विप्रेषण की अनुमति है।[2]

[2] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 102 21 मई, 2015

भाग-ग

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन

1. सामान्य

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी बैंकों के बोर्ड विभिन्न खजाना प्रचालनों के लिए यथोचित नीति बनाएं और समुचित सीमा निर्धारित करें।

2. पोजीशन और गैप

बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के तुरंत बाद नेट ओवरनाइट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (अनुबंध-I) और कुल गैप सीमा की सूचना रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

3. अंतर-बैंक लेनदेन

पैरा 1 और 2 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निम्नानुसार विदेशी मुद्रा लेनदेन मुक्त रूप से कर सकते हैं:

क) भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ:

(i) रुपये या किसी अन्य विदेशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय/स्वैपिंग।

(ii) विदेशी मुद्रा में जमा करना/स्वीकार करना और उधार लेना/उधार देना।

ख). विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों तथा समुद्रपारीय बैंकों के साथ

i) ग्राहक लेनदेनों को कवर करने के लिए या स्वयं की पोजीशन को समायोजित करने के लिए किसी अन्य विदेशी मुद्रा के विरुद्ध विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय/स्वैपिंग ।

ii) समुद्रपारीय बाजारों में व्यापारिक स्थितियां प्रारंभ करना।

नोट :

क. अनिवासी बैंकों के खातों की निधीयन - कृपया भाग ख के पैराग्राफ 3 का संदर्भ लें।

ख. अंतर बैंक बाजार में विक्रय के लिए फॉर्म ए 2 को पूर्ण किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे सभी लेनदेनों की सूचना आर विवरणियों में रिज़र्व बैंक को दी जानी चाहिए।

[3]3 ए। गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं (एनडीडीसी) में लेनदेन

आईएफएससी बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) वाले प्राधिकृत व्यापारी (जैसा कि दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के परिपत्र सं आरबीआई/2014-15/533.डीबीआर.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 (समय-समय पर संशोधित) में निर्दिष्ट किया गया है), आईबीयू वाले अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों और विदेशों में बैंकों के साथ एनडीडीसी में लेन-देन कर सकते है। बैंक अपने आईबीयू के माध्यम से या भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से या अपनी समुद्रपारीय शाखाओं के माध्यम से (भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों के मामले में, मूल बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से) इस तरह के लेनदेन कर सकते हैं। इस तरह के लेनदेन को आईएनआर या किसी भी विदेशी मुद्रा में नकद-निपटान किया जा सकता है।

4. विदेशी मुद्रा खाते/ समुद्रपारीय बाजारों में निवेश

(i) विदेशी मुद्रा खातों में प्रवाह मुख्यतः ग्राहक संबंधित लेनदेनों, स्वैप सौदों, जमाराशियों, उधार आदि के कारण होते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 1 बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक विदेशी मुद्राओं में राशियां रख सकते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित गैप सीमाओं के पालन की शर्त के अधीन वे इन खातों में बेशी को अपनी समुद्रपारीय शाखाओं/ प्रतिनिधियों के साथ ओवरनाइट प्लेसमेंट और निवेश के माध्यम से प्रबंधन कर सकते हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा तक समुद्रपारीय बाजारों में निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश, समुद्रपारीय मुद्रा बाजार लिखतों तथा / या स्टैंडर्ड एंड पुअर / एफआईटीसीएच आईबीसीए के कम से कम AA (-) या मूडी के Aa3 रेटिंग वाले विदेशी राज्य द्वारा जारी एक वर्ष से कम परिपक्कता वाले ऋण लिखतों मे किए जा सकते हैं। किसी विदेशी राज्य के मुद्रा बाजार लिखतों से इतर ऋण लिखतों में निवेश के प्रयोजन के लिए, जहां आवश्यक हो, बैंक के बोर्ड देश वार रेटिंग और देश वार सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं।

नोट: इस खंड के प्रयोजन के लिए मुद्रा बाजार लिखत में ऐसा कोई ऋण लिखत शामिल होगा जिसकी परिपक्कता ख़रीद की तारीख को एक वर्ष से अधिक न हो।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक, अप्रयुक्त एफसीएनआर (बी) निधियों को समुद्रपारिय बाजारों में

[3] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.23 दिनांक 27 मार्च, 2020

दीर्घावधि नियत आय प्रतिभूतियों में भी निवेश कर सकते हैं, बशर्ते निवेश की गई प्रतिभूतियों की परिपक्वता अंतर्निहित एफसीएनआर (बी) जमा की परिपक्वता से अधिक न हो।

(iv) नोस्ट्रो खातों में अधिशेषों का प्रतिनिधित्व करने वाली विदेशी मुद्रा निधियों का उपयोग निम्न के लिए किया जा सकता है:

क) निवासी घटकों को उनकी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या उन निर्यातकों/कॉर्पोरेट्स की रुपया कार्यशील पूंजी/पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए ऋण देना जिनके पास विवेकपूर्ण/ब्याज दर मानदंडों, ऋण अनुशासन और लागू ऋण निगरानी दिशानिर्देशों के अधीन विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए एक प्राकृतिक बचाव या जोखिम प्रबंधन नीति है।

ख) रिज़र्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन, विदेशों में भारतीय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी एक निवासी कंपनी के पास हो, को ऋण सुविधाएं प्रदान करना।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार दावा न किए गए शेष खाते, असमाशोधित डेबिट/क्रेडिट प्रविष्टियों को बट्टे खाते में डाल सकते हैं/अंतरित कर सकते हैं।

5. ऋण/ओवरड्राफ्ट

क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार की सभी श्रेणियां, (नीचे (ग) पर उल्लिखित उधार श्रेणियों के अलावा), मौजूदा बाहरी वाणिज्यिक उधार और उनके प्रधान कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं और भारत के बाहर प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ऋण / ओवरड्राफ्ट सहित [कृपा नीचे (ड़) देखें] या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमति के अनुसार कोई अन्य संस्था और नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट (पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं), नीचे (च) में निर्धारित शर्तों के अधीन, उनकी अप्रभावित टीयर I पूंजी या 10 मिलियन अमरीकी डालर (या इसके समतुल्य) जो भी अधिक हो, के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। पूर्वोक्त सीमा भारत में सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा विदेशों में स्थित उनकी सभी शाखाओं/प्रतिवादियों से प्राप्त की गई कुल राशि पर लागू होती है और इसमें घरेलू स्वर्ण ऋणों के वित्तपोषण के लिए सोने में समुद्रपारीय उधार भी शामिल है (दिनांक 5 सितंबर 2005 के cf. डीबीओडी परिपत्र संख्या आईबीडी.बीसी. 33/23.67.001/2005-06)। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक निकासी पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं की जाती है, तो अनुबंध-VIII में प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग केंद्रीय

कार्यालय, मुंबई 400001 को उस महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें सीमा पार हो गई थी। यदि वैल्यू डेटिंग के लिए व्यवस्था मौजूद है तो ऐसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।

ख) इस प्रकार जुटाई गई निधियों का उपयोग भारत में ग्राहकों को विदेशी मुद्रा में उधार देने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और रिज़र्व बैंक को संदर्भित किए बिना चुकाया जा सकता है। इस नियम के अपवाद के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों को आईईसीडी परिपत्र संख्या 12/04.02.02/2002-03 दिनांक 31 जनवरी, 2003 के अनुसार निर्यात ऋण के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के लिए स्वैप के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा निधियों के साथ-साथ उधार ली गई निधियों का उपयोग करने की अनुमति है। इस सीमा से ऊपर की कोई भी नई उधारी केवल रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से ही की जाएगी। नए ईसीबी के लिए आवेदन वर्तमान ईसीबी नीति के अनुसार किए जाने चाहिए।

ग) निम्नलिखित उधार, टियर । पूंजी के 100 प्रतिशत की अप्रभावित सीमा या 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (या इसके समतुल्य), जो भी अधिक हो, की सीमा से बाहर बने रहेंगे:

i) 2 जुलाई 2015 के 'रुपया /विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण तथा निर्यातकों को ग्राहक सेवा' पर डी.बी.ओ.डी के मास्टर परिपत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन निर्यात ऋण के वित्तपोषण के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों द्वारा समुद्रपारिय ऋण।

ii) टियर II पूंजी के रूप में भारत में अपनी शाखाओं के साथ विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा रखा गया गौण ऋण।

iii) परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/21.01.002/2005-06 दिनांक 25 जनवरी 2006, डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.23/21.01.002/2006-07 दिनांक 21 जुलाई 2006 के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा में, बेमियादी कर्ज लिखत और ऋण पूंजी लिखतों के जारी होने से जुटाई/बढ़ाई गई पूंजीगत निधियां तथा बेमियादी कर्ज लिखत और 2 मई 2012 के परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.98/21.06.201/2011-12 के अनुसार विदेशी मुद्रा में जारी बेमियादी कर्ज लिखत तथा ऋण पूंजी लिखत।

iv) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के साथ कोई अन्य समुद्रपारिय ऋण।

घ) रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऋण/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज (करों को घटाकर) प्रेषित किया जा सकता है।

ड़) [4] प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक केवल उन अंतरराष्ट्रीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से उधार ले सकते हैं जिनमें भारत सरकार एक शेयरधारक सदस्य है या जो एक से अधिक सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं या एक से अधिक सरकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा शेयरधारिता रखते हैं।

च) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की अक्षत टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक के ऋण, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

(i) बैंक के पास समुद्रपारिय ऋणों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को शामिल किया जाएगा, जिसका पालन बैंक विदेश में विदेशी मुद्रा में ऋण लेते समय करेगा।

(ii) बैंक को 12.0 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखना चाहिए।

(iii) मौजूदा सीमा से अधिक ऋण तीन वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता के साथ होंगे।

(iv) अन्य सभी मौजूदा मानदंड (फेमा विनियमन, एनओपीएल मानदंड, आदि) लागू रहेंगे।

[5] 6. ऑनशोर बाजार समय के बाद भी ग्राहक और अंतर बैंक संव्यवहार

प्राधिकृत व्यापारियों को ग्राहक (भारत में निवासी व्यक्तियों और भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों) और अंतर-बैंक संव्यवहारों को ऑनशोर बाजार समय के बाद भी करने की अनुमति दी जाती है। अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक इकाइयों के माध्यम से भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों के साथ भी ऑनशोर बाजार समय के बाद संव्यवहार किए जा सकते हैं।

---

[4] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.112 दिनांक 25 जून, 2015

[5] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या. 15 दिनांक 06 जनवरी, 2020

भाग-घ

[हटा दिया गया][6]

[6] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

भाग ड़

रिजर्व बैंक को रिपोर्टें

i) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान/प्रधान कार्यालय को अनुबंध-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से फॉर्म एफटीडी में विदेशी मुद्राआवर्त (टर्नओवर) और फॉर्म जीपीबी में गैप, पोजीशन और नकद शेष राशि का दैनिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ii) [हटा दिया गया][7]

iii) [हटा दिया गया][8]

iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर के ब्यौरे अनुबंध-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार अग्रेषित करें। प्राधिकृत व्यापारी को यह रिपोर्ट संशोधित प्रारूप के अनुसार केवल सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसे https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ पर देखा जा सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जिन्हें एक्सबीआरएल प्रणाली तक पहुँचने के लिए लॉगिन आईडी/पासवर्ड की आवश्यकता होती है, वे अपना ई-मेल पता और संपर्क नंबर इस ई-मेल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी कॉर्पोरेट ग्राहकों के जोखिम का विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जाना है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह रिपोर्ट बैंक बहियों के आधार पर प्रस्तुत करनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट विवरणियों के आधार पर।

v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I को अनुबंध- VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार साप्ताहिक आधार पर किए गए ऑप्शन लेनदेन (FCY-INR) का विवरण अग्रेषित करना चाहिए। रिपोर्ट ई-मेल पर भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुबंध-IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार हर महीने को अंतिम शुक्रवार को सभी श्रेणियों के तहत अपने कुल बकाया विदेशी मुद्रा उधार की सूचना देनी होगी। रिपोर्ट

---

[7] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.3 दिनांक 10 अगस्त, 2017

[8] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अगले महीने की 10 तारीख तक मिल जानी चाहिए। रिपोर्ट इस ई-मेल पर भी अग्रेषित की जा सकती है ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

vii) [हटा दिया गया][9]

viii) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के प्रधान/प्रधान कार्यालय वेब पोर्टल पर https://bop.rbi.org.in के माध्यम से अनुबंध III[10] में दए गए फॉर्मेट के अनुसार पाक्षिक आधार पर रिपोर्टिंग अवधि, जिससे यह संबंधित है, की समाप्ति से सात कैलेंडर दिनों के भीतर सभी विदेशी मुद्राओं की अपनी धारिता का विवरण देते हुए फार्म बीएएल में एक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ix) [हटा दिया गया][11]

x) प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की प्रधान/प्रधान कार्यालय को अपनी उन सभी कार्यालयों/शाखाओं जो अनिवासी बैंकों का रुपया खाते रख रहे है की सूची (तीन प्रतियों में) प्रत्येक वर्ष दिसंबर अंत की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए जिनमें रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित कोड भी होगा। यह सूची अगले वर्ष की 15 जनवरी से पहले प्रस्तुत की जाए। कार्यालयों/शाखाओं को रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाएं जिनमें वे स्थित हैं। रिपोर्ट इस ई-मेल पर भी अग्रेषित की जाएं ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

xi) [हटा दिया गया][12]

xii) [हटा दिया गया][13]

xiii) प्राधिकृत व्यापारियो को तिमाही आधार पर अनुबंध XX में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार, योजना के तहत गैर-निवासियों द्वारा हेज लेनदेन और/या अंतर्निहित व्यापार लेनदेन को बार-बार रद्द करने वाले

---

[9] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

[10] ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.3 दिनांक 10 अगस्त, 2017

[11] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

[12] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

[13] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

संदिग्ध लेनदेन को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट इस ई-मेल पर भी अग्रेषित की जाएं ताकि अगले माह की 10 तारीख तक विभाग को प्राप्त हो सके।

रिपोर्ट्स, मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को भेजी जाएं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। रिपोर्ट्स अधिमानतः ई-मेल के माध्यम से इस ई-मेल पर भेजी जा सकती हैं।

अनुबंध- I

भाग ग, पैराग्राफ 2 देखें]

क. प्राधिकृत व्यापारिय श्रेणी - I की विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा के लिए दिशानिर्देश

प्राधिकृत व्यापारियों की विदेशी मुद्रा जोखिम सीमा दोहरी प्रकृति की होगी।

i) विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल)।

ii) विनिमय दर प्रबंधन के लिए मुद्राओं (एनओपी-आईएनआर) में से एक के रूप में रुपये को शामिल करने वाले पोजिशन लिमिट

भारत में निगमित बैंकों के लिए, बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सीमा उनकी समुद्रपारीय शाखाओं और अपतटीय बैंकिंग इकाइयों सहित सभी शाखाओं का कुल योग होना चाहिए। विदेशी बैंकों के लिए, सीमाएं केवल भारत में उनकी शाखाओं को कवर करेंगी।

i. विदेशी मुद्रा जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना हेतु नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल)।

एनओओपीएल को संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा तय किया जाना चाहिए और तुरंत रिजर्व बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसी सीमाएं बैंक की कुल पूंजी (टियर I और टियर II पूंजी) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नेट ओपन पोजीशन की गणना नीचे दी गई विधि के अनुसार की जा सकती है:

1. एकल मुद्रा में नेट ओपन पोजीशन की गणना

प्रत्येक विदेशी मुद्रा के लिए ओपन पोजीशन को अलग से मापा जाना चाहिए। किसी करेंसी में ओपन पोजीशन (क) नेट स्पॉट पोजीशन, (ख) नेट फॉरवर्ड पोजीशन और (ग) नेट ऑप्शंस पोजीशन का योग है।

क) नेट स्पॉट स्थिति

नेट स्पॉट पोजीशन बैलेंस शीट में विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर है। इसमें सभी उपार्जित आय/व्यय शामिल होना चाहिए।

ख) नेट फॉरवर्ड पोजीशन

यह विदेशी मुद्रा लेनदेन, जो संपन्न हो गए है के परिणामस्वरूप भविष्य में भुगतान की जाने वाली सभी राशियों को घटाकर प्राप्त की जाने वाली सभी राशियों का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। ये लेन-देन, जो बैंक की पुस्तकों में तुलन-पत्र से इतर मदों के रूप में दर्ज हैं, में शामिल होंगे:

i) स्पॉट लेनदेन जो अभी तक तय नहीं हुए हैं;

ii) फॉरवर्ड लेनदेन;

iii) विदेशी मुद्राओं में गारंटी और उसी प्रकार प्रतिबद्धताएँ जिनका कॉल किया जाना निश्चित है ;

iv) नेट फ्यूचर आय / व्यय जो अभी उपचित नहीं हुई है लेकिन पूरी तरह से हेज है (रिपोर्टिंग बैंक के विवेकधिकार पर);

v) करेंसी फ्यूचर के संबंध में प्राप्त/ दत्त राशिओं का नेट , और करेंसी फ्यूचर/ स्वैप पर मूल ।

ग) नेट ऑप्शंस पोजीशन

ऑप्शंस पोजीशन "डेल्टा-समतुल्य" स्पॉट करेंसी पोजीशन है जैसा कि प्राधिकृत व्यापारी के ऑप्शंस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में परिलक्षित होता है, और इसमें वो डेल्टा हेजेज भी शामिल होंगे जो पहले से ही ऊपर 1(क) या 1(ख) (i) और (ii) के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।

2. समग्र नेट ओपन पोजीशन की गणना

इसमें विभिन्न मुद्राओं में बैंक की दीर्ध और लघु स्थिति के मिश्रण में निहित जोखिमों का माप शामिल है। इसमें "शॉर्टहैंड विधि" अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसे समग्र निवल ऑपन ऑप्शन पर पहुंचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। इसलिए, बैंक समग्र निवल ऑपन ऑप्शन की गणना निम्नानुसार कर सकते हैं:

i. प्रत्येक मुद्रा में निवल ओपन पोजीशन की गणना करें (ऊपर पैरा 1)।

ii. स्वर्ण में नेट ओपन पोजीशन की गणना करें।

iii. मौजूदा भा.रि.बैं/फेडाई(विदेशी मुद्रा व्यापारी संध) के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मुद्राओं में निवल स्थिति और स्वर्ण को रुपये में परिवर्तित करें। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेन को वर्तमान कीमत (पीवी) समायोजन के आधार पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

iv. सभी नेट शॉर्ट पोजीशन का योग।

v. सभी नेट लॉन्ग पोजीशन का योग।

समग्र निवल विदेशी मुद्रा स्थिति (iv) या (v) में से उच्चतर है। ऊपर बताए गए कुल निवल विदेशी मुद्रा की स्थिति को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के भीतर रखा जाना चाहिए।

नोट: प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निवल खुली स्थिति की गणना के उद्देश्य से पीवी समायोजन के आधार पर फॉरवर्ड विनिमय संविदा सहित सभी डेरिवेटिव लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी बैंक पीवी समायोजन के उद्देश्य से अपने स्वयं के प्रतिफल वक्र का चयन कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों

के पास उपयोग किए जाने वाले प्रतिफल वक्र/(ओं) के संबंध में अपने एल्कों(आस्ति देयता प्रबंध समिति) द्वारा अनुमोदित एक आंतरिक नीति होनी चाहिए और इसे निरंतर आधार पर लागू करना चाहिए।

3. अपतटीय जोखिम

समुद्रपारीय उपस्थिति वाले बैंकों के लिए, अपतटीय जोखिमों की गणना उपरोक्त पद्धति के अनुसार स्टैंडअलोन आधार पर की जानी चाहिए और इसे तटवर्ती जोखिमों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कुल सीमा (ऑन-शोर + ऑफ-शोर) को नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन (एनओओपी) कहा जा सकता है और पूंजी प्रभार के अधीन होगा।ओपेन स्थिति की गणना के लिए विदेशी शाखाओं के संचित अधिशेष की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण इस प्रकार है:

यदि किसी बैंक की तीन विदेशी शाखाएं हैं और तीनो शाखाओं की ओपेन पोजीशन निम्नानुसार है-

शाखा ए: + 15 करोड़ रुपये

शाखा बी: + 5 करोड़ रुपये

ब्रांच सी:- 12 करोड़ रुपये

समुद्रपारीय शाखाओं के लिए कुल मिलाकर ओपन पोजीशन 20 करोड़ रुपए होगी।

4. पूंजी आवश्यकता[14]

जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है

5. अन्य दिशानिर्देश

i. प्राधिकृत व्यापारियों की एल्को/आंतरिक लेखापरीक्षा समिति को सीमा के उपयोग और पालन की निगरानी करनी चाहिए।

ii. प्राधिकृत व्यापारियों के पास रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित एनओओपी के विभिन्न घटकों को, जब भी आवश्यक हो, प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

iii. प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा कारोबारी दिन के अंत तक किए गए लेन-देन की गणना विदेशी मुद्रा एक्सपोजर सीमा की गणना के लिए की जा सकती है। कारोबारी दिन की समाप्ति के बाद किए गए लेन-

[14] यह पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार टीयर I पूंजी को संदर्भित करती है।

देन को अगले दिन की स्थिति में लिया जा सकता है। ईओडी का समय बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

ii. विनिमय दर प्रबंधन के लिए मुद्राओं में से एक मुद्रा (एनओपी-आईएनआर) के रूप में रुपये को शामिल करने वाले पदों की सीमा

क. बाजार की स्थितियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक पर प्राधिकृत व्यापारियों के लिए एनओपी-आईएनआर निर्धारित किया जा सकता है।

ख. एनओपी-आईएनआर पोजीशन की गणना लॉन्ग और शॉर्ट ऑनशोर पोजीशन (शॉर्ट हैंड मेथड द्वारा प्राप्त) और विदेशी शाखाओं की नेट आईएनआर पोजीशन को घटाकर की जा सकती है।

ग. एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले करेंसी फ्यूचर्स/ऑप्शंस में बैंकों द्वारा की गई पोजिशन एनओपी-आईएनआर का हिस्सा बनेगी।

घ. ऑप्शन पॉजीशन के संबंध में, उतार-चढ़ाव वाले बाजार बंद/पुनर्मूल्यांकन के दौरान बड़े ऑप्शन ग्रीक्स के कारण किसी भी तरह की अधिकता को तकनीकी उल्लंघन माना जा सकता है। हालांकि, ऐसे उल्लंघनों की निगरानी बैंकों द्वारा उचित ऑडिट ट्रेल के साथ की जानी चाहिए। ऐसे उल्लंघनों को भी नियमित किया जाना चाहिए और उपयुक्त अधिकारियों (एल्को /आंतरिक लेखापरीक्षा समिति) द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

ख. कुल गैप सीमा (एजीएल)

i. संबंधित बैंकों के बोर्ड द्वारा गैप सीमा (एजीएल) निर्धारित की जा सकती है और तत्काल इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दी जाएगी। हालांकि, ऐसी सीमाएं बैंक की कुल पूंजी (टियर I और टियर II पूंजी) के 6 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ii. तथापि, प्राधिकृत व्यापारी जिन्होंने कुल विदेशी मुद्रा अंतर जोखिमों के लिए अवधिवार पीवी01 सीमा और वीएआर जैसे बेहतर उपाय किए हैं, उन्हे एजीएल के स्थान पर अपनी पूंजी, जोखिम वहन क्षमता आदि के आधार पर अपनी पीवी01 और वीएआर सीमा तय करने की अनुमति है। इसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दें। सीमा की प्रक्रिया और गणना को आंतरिक नीति के रूप में स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

अनुबंध- II

[भाग ड़, पैराग्राफ (i) देखें]

विदेशी मुद्रा टर्नओवर डाटा की रिपोर्टिंग - एफ़टीडी और जीपीबी

एफ़टीडी और जीपीबी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और फॉर्मेट नीचे दिए गए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक सुनिश्चित करें कि इन दिशानिर्देशों के आधार पर रिपोर्टें उचित रूप से संकलित किए जाए: एक खास तारीख के आंकड़े कारोबार की समाप्ति के अगले कार्य दिवस तक हमारे पास पहुँच जाने चाहिए।

एफ़टीडी

1. स्पॉट- नकदी और टॉम लेनदेनों को 'स्पॉट' लेनदेनों में शामिल किया जाए ।
2. स्वैप- स्वैप लेनदेनों के तहत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बीच हुए विदेशी मुद्रा स्वैप की रिपोर्टिंग की जाए। दीर्घावधि स्वैप (क्रॉस करेंसी और विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप दोनों) को इस रिपोर्ट में शामिल न किया जाए। स्वैप लेनदेनों की रिपोर्टिंग केवल एक बार की जाए तथा 'स्पॉट' अथवा 'फॉरवर्ड' लेनदेनों के तहत इसे शामिल न किया जाए। खरीद/बिक्री स्वैप को 'स्वैप' के तहत 'खरीद' पक्ष में शामिल किया जाए जबकि बिक्री/खरीद स्वैप को 'बिक्री' की तरफ दर्शाया जाए।
3. फॉरवर्ड संविदा को रद्द करना - व्यापारियों से खरीद पर फॉरवर्ड संविदाओं के रद्द होने के तहत रिपोर्ट की जाने वाली राशि, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I के बैंकों द्वारा रद्द किए गए फॉरवर्ड व्यापारी बिक्री संविदा का सकल हो(बाज़ार में आपूर्ति को जोड़कर)। बिक्री की तरफ रद्द फॉरवर्ड संविदाओं की खरीद संविदाओं के सकल को दर्शाया जाए (बाजार में मांग को जोड़कर)।
4. 'एफ़सीवाई/एफ़सीवाई' लेनदेन - लेनदेन के दोनों चरणों को अपने-अपने कॉलम में रिपोर्ट जाए। उदाहरण के लिए ईयूआर/यूएसडी खरीद संविदा में ईयूआर राशि को खरीद की तरफ शामिल किया जाए जबकि यूएसडी राशि को बिक्री की तरफ शामिल किया जाए।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन को अंतर बैंक लेनदेनों में शामिल किया जाए। विदेशी मुद्रा कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंकों से इतर वित्तीय संस्थानों के साथ लेनदेनों को व्यापारी लेनदेनों में शामिल किया जाए।

जीपीबी

1. विदेशी मुद्रा शेष – सभी विदेशी मुद्रा नकद शेष और निवेशों को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाए और इस शीर्ष के तहत रिपोर्ट किया जाए।

2. निवल जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति- यह करोड़ रुपये में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंक के समग्र एक दिवसीय की निवल जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति दर्शाए। निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा स्थिति का आकलन अनुबंध । में दिए गए अनुदेशों के आधार पर किया जाए।

3. उपर्युक्त एफसीवाई/आईएनआर का - राशि को रुपए के सामने दर्ज किया जाए अर्थात् निवल एक दिवसीय जोखिम विदेशी मुद्रा में से क्रॉस करेंसी पोज़िशन, यदि कोई हो तो उसे घटाएं।

एफटीडी और जीपीबी विवरणों के प्रारूप

एफटीडी

दिनांक..... को विदेशी मुद्रा का दैनिक टर्नओवर को दर्शाने वाला विवरण

		व्यापारी			अंतर बैंक		
		स्पॉट, कैश, रेडी, टी.टी. आदि।	फॉरवर्ड	फॉरवर्ड का निरसन	स्पॉट	स्वैप	फॉरवर्ड
एफसीवाई/ आईएनआर	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						
एफसीवाई/ एफसीवाई	से खरीदा गया						
	को बेचा गया						

जीपीबी

..... को गैप, पोजीशन और नकद शेष को दर्शाने वाला विवरण

विदेशी मुद्रा शेष (नकद शेष + सभी निवेश)	:	मिलियन अमेरिकी डॉलर में
नेट ओपन एक्सचेंज पोजीशन (रु.)	:	भारतीय रूपये करोड़ में ओ/बी(+)/ओ/एस (-)
उपरोक्त एफसीवाई/आईएनआर में से	:	करोड़ रुपये में
एजीएल रखा गया (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	:	वीएआर रखा गया (भारतीय रूपये में):

विदेशी मुद्रा परिपक्वता असंतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

I माह	II माह	III माह	IV माह	V माह	VI माह	> VI माह

[भाग ड़, पैराग्राफ (viii) देखें] **अनुबंध III**

बैंक की आस्ति देयता (बीएएल) का विवरण

बैंकिंग परिसंपत्ति देयता (बीएएल) विवरण									
दिनांक _____ के अंत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशों में रखी गई विदेशी मुद्रा और समुद्रपारीय शाखाओं और प्रतिनिधियों के अनिवासी रुपये/एसीयू डॉलर खातों में रखी शेष राशि									
बैंक कोड		बैंक का नाम							
रिपोर्ट दिनांक		मूल/संशोधित							
		विदेशों में रखी गई विदेशी मुद्रा शेष राशि							
देश	मुद्रा	चालू खाता*		मियादी जमाराशियां	ट्रेजरी बिल	प्रतिभूतियां	ऋण	कुल	
		सीटी (1)	Dt (2)	3	4	5	6	(1-6)	
		अनिवासी खातों में समुद्रपारीय शाखाओं और प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई शेष राशि **							
देश	मुद्रा	सीटी (8)	Dt (9)						
* कॉलम 1 या 2 में यथोचित निवल शेषराशि रिपोर्ट की जाएं									
** कॉलम 8 या 9 में यथोचित निवल शेषराशि रिपोर्ट की जाएं									
बीएएल वक्तव्य ज्ञापन									
बैंक कोड		बैंक का नाम							
रिपोर्ट दिनांक		मूल/संशोधित							
क्र.सं.	मुद्रा का नाम	ईईएफसी		आरएफसी		एस्क्रौ		अन्य	
		राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या

अनुबंध IV

[हटा दिया गया][15]

[15] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

[भाग ड़, पैराग्राफ (iv) देखें] **अनुबंध V**

दिनांक..... को विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी

दिनांक..... को विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी बैंक का नाम										दिनांक.....को विदेशी मुद्रा में एक्सपोजर से संबंधित जानकारी बैंक का नाम.....						सी. रुपया देयता पर आधारित भारतीय रुपया /एफसीवाई स्वैप (25 मिलियन अमेरीकी डालर के समतुल्य/से अधिक रिपोर्ट की जाए)
ए. अंतर्निहित लेनदेनों पर आधारित एक्सपोजर और हेजेस (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)										**बी. विगत निष्पादन पर आधारित पर एक्सपोजर और हेजेस (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)**						
		व्यापार से संबंधित						**व्यापारेत्तर**								
		निर्यात		आयात		अल्पावधि वित्त बकाया				निर्यात			आयात			
क्र.सं.	कॉर्पोरेट का नाम	एक्सपोजर	हेज राशि	एक्सपोजर	हेज राशि	जोखिम	हेज की गई राशि	जोखिम	हेज की गई राशि	पात्र सीमाएं	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	पात्र सीमाएं	हेज की संचयी राशि	शेष राशि	
1																
2																
3																
4																
5																
टिप्पणियां																
ए. खरीदे गए/भुनाएं गए/परक्राम्य किए गए निर्यात बिलों को सम्मिलत न किया जाए																
बी. स्थापित साखपत्र / साखपत्र के तहत निपटान हो चुके बिलों /आयात आय की वसूली हेतु बकाया बिलों को सम्मिलित किया जाए।																
सी. प्रस्तुत की जाने वाले आँकड़े कॉर्पोरेट के विवरण पर आधारित न होकर बैंकों की बहियों पर आधारित हों।																
डी. अल्पकालिक वित्त में बैंक/पीसीएफसी द्वारा अनुमोदित व्यापार ऋण (क्रेता ऋण/आपूर्तिकर्ता ऋण) का समावेश हों।																
ई. व्यापारेतर एक्सपोजर में बैंक द्वारा की गए ईसीबी, एफसीसीबी के मामले /एफसीएनआर (बी) खातेगत ऋण आदि का समावेश हो।																
एफ़. कॉरपोरेट-वार आँकड़े जहां एक्सपोजर अथवा हेजेस 25 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य या उससे अधिक हों रिपोर्ट की जाए।																
जी. सभी हेजेस जिनमें रुपया एक लेग के रूप में हो रिपोर्ट की जाए।																
एच. ऑप्शन (ऑप्शन) स्ट्रक्चर के मामले में, उच्चतम नोशनल राशि वाले व्यापार रिपोर्ट किए जाएं।																
आई. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिगणित 25 मिलियन डॉलर के समतुल्य या उससे अधिक आकलित हुई पात्र सीमा संबंधी मामलों में कंपनी																
जे. भाग 'बी' में हेज की गई राशि के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान बुक किए गए हेजेस का संचयी जोड़ रिपोर्ट किया जाए।																
के. विगत वर्ष में बुक की गई संविदा राशि, जो बकाया है, को भाग 'बी' में हेज की गई राशि तथा बकाया राशि में शामिल नहीं किया जाएगा।																
एल. केवल वे मामले भाग'बी' में रिपोर्ट की जाएं जिनमें बैंक ने कॉर्पोरेट को पीपी(PP) सीमा को मंजूरी दी हो।																

टिप्पणी: प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, उपर्युक्त तिमाही रिपोर्ट संशोधित प्रारूप के अनुसार सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली द्वारा **केवल ऑनलाइन** प्रेषित करें जिसका लिंक https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl है।

अनुबंध VI

[हटा दिया गया][16]

[16] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अनुबंध VII

[हटा दिया गया][17]

[17] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अनुबंध VIII

[भाग ड़, पैराग्राफ (v) देखें]

एफसीवाई/रुपया ऑप्शन लेनदेन

[..... को समाप्त सप्ताह के लिए]

क. ऑप्शन लेनदेन रिपोर्ट

क्रम सं.	व्यापार तारीख	ग्राहक/ सी पार्टी का नाम	नॉशनल	क्रय/विक्रय ऑप्शन	स्ट्राईक	परिपक्वता	प्रीमियम	प्रयोजन*

- व्यापार अथवा ग्राहक संबंधी तुलनपत्र का उल्लेख करें।

II. ऑप्शन स्थिति रिपोर्ट

करेंसी युग्म	नॉशनल बकाया		नेट पोर्टफोलियो डेल्टा	नेट पोर्टफोलियो गामा	नेट पोर्टफोलियो वेगा
अमेरीकी डॉलर - भारतीय रुपया	अमेरीकी डॉलर	अमेरीकी डॉलर	अमेरीकी डॉलर		
यूरो- भारतीय रुपया	यूरो	यूरो	यूरो		
जापानी येन - भारतीय रुपया	जापानी येन	जापानी येन	जापानी येन		

(अन्य करेंसी पेयरों के लिए इसी प्रकार से)

कुल नेट ओपन ऑप्शंस पोजीशन (आईएनआर):

4 अप्रैल 2003 के ए.पी.(डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 92 में निर्धारित पद्धति का उपयोग करते हुए कुल नेट ओपन ऑप्शंस का पता लगाया जा सकता है।

III. पोर्टफोलियों डेल्टा रिपोर्ट में परिवर्तन

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर- वृद्धि) के लिए अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपए डेल्टा में

परिवर्तन =

भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत वृद्धि (डॉलर- ह्रास) के लिए अमरीकी डॉलर-भारतीय रुपए डेल्टा में परिवर्तन =

इसी तरह, यूरो-भारतीय रुपए, जापानी येन-भारतीय रुपए, जैसे अन्य करेंसी पेयरों के लिए भारतीय रुपए में स्पॉट में 0.25 प्रतिशत परिवर्तन (एफसीवाई वृद्धि और कीमत ह्रास अलग-अलग) के लिए डेल्टा में परिवर्तन।

IV. स्ट्राईक कंसंट्रेशन रिपोर्ट

	परिपक्वता समूह					
स्ट्राईक कीमत	**1 सप्ताह**	**2 सप्ताह**	**1 माह**	**2 माह**	**3 माह**	**>3 माह**

यह रिपोर्ट मौजूदा स्पॉट स्तर के 150 पैसे के दायरे के आसपास के लिए तैयार की जानी चाहिए। संचयी स्थितियां दी जाए।

सभी राशियाँ मिलियन अमरीकी डॉलर में। जब बैंक कोई ऑप्शन स्वीकार करता है तो राशि धनात्मक दर्शायी जाए। जब बैंक कोई ऑप्शन विक्रय करता है तो राशि ऋणात्मक दर्शायी जाए। **सभी रिपोर्ट मार्केट-मेकरों द्वारा** ई-मेल **के माध्यम से भेजी जाएं। रिपोर्ट प्रत्येक शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तैयार की जाएं तथा अगले सोमवार तक भेजी जाएं।**

अनुबंध IX

[भाग ग, पैरा 5(क) देखें]

समुद्रपारिय विदेशी मुद्रा उधार – दिनांक _____की रिपोर्ट
राशि(समतुल्य मिलियन अमरीकी डालर* में)

बैंक (स्विफ्ट कोड)	पिछली तिमाही ..... के अंत में अक्षत टीयर – I पूंजी	1 जुलाई 2009 के जोखिम प्रबंध और अंतर बैंक लेनदेन पर मास्टर परिपत्र के भाग-सी, पैरा 5(ए) के अनुसार उधार	रुपया स्त्रोतों की पुनः पूर्ति करने की सीमा से अधिक उधार @	बाह्य वाणिज्यिक उधार	औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के निर्यात ऋण पर 01 जुलाई 2003 के मास्टर परिपत्र तथा 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3/2000-आरबी के विनियम 4.2(iv) के अंतर्गत उधार	
					(ए) विदेशी मुद्रा में लदान पूर्व ऋण व्यवस्था (पीसीएफसी)	(बी) बैंकर्स स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) / विदेश में निर्यात बिलों की पुनर्भुनाई योजना (ईबीआर) उपलब्ध करने के लिए विदेश से ऋण
	ए	1	2	3	4ए	4बी
	टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए विदेशी मुद्रा में गौण ऋण	कोई अन्य संवर्ग (कृपया विशेष रूप से यहां इस स्तंभ में उल्लेख करें)	कुल (1+2+3+6)	कुल (1+2+3+4+6)	ए. के टीयर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+6) के अंतर्गत उधार	ए. के टीयर-I पूंजी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त संवर्ग (1+2+3+4+6) के अंतर्गत उधार
	5	6	7	8	9	10

नोट:

*1. परिवर्तन के लिए रिपोर्ट की तारीख को रिज़र्व बैंक संदर्भ दर और न्यूयॉर्क बंद दरों का उपयोग करें।

@ 2. दिनांक 24 मार्च 2004 के ए. पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 81 के पैरा 4 के अनुसार सुविधा फिलहाल निकाल दी गई है।

अनुबंध X

[हटा दिया गया][18]

[18] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अनुबंध XI

[हटा दिया गया] [19]

[19] आरबीआई/2017-18/138 एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 19 दिनांक 12 मार्च, 2018

अनुबंध XII

[हटा दिया गया] [20]

[20] आरबीआई/2017-18/138 एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 19 दिनांक 12 मार्च, 2018

अनुबंध XIII

[हटा दिया गया][21]

[21] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अनुबंध XIV

[हटा दिया गया][22]

अनुबंध XV

[हटा दिया गया][23]

[22] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

[23] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अनुबंध XVI

[हटा दिया गया][24]

अनुबंध XVII

[हटा दिया गया] [25]

अनुबंध XVIII

[हटा दिया गया][26]

अनुबंध XIX

[हटा दिया गया][27]

---

[24] आरबीआई/2017-18/138 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 दिनांकित 12 मार्च, 2018

[25] आरबीआई/2017-18/138 एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 19 दिनांकित 12 मार्च, 2018

[26] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

[27] एपी (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या.29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020

अनुबंध XX

अनिवासी आयातक/निर्यातक द्वारा किए गए संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग ..... को समाप्त तिमाही के लिए

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम –

क्रम संख्या	अनिवासी निर्यातक/ आयातक का नाम	समुद्रपारीय बैंक का नाम (मॉडल I के मामले में)	रद्द किये गए व्युत्पन्नी लेनदेन की संख्या इसके साथ अंतर्निहित व्यापार लेन-देन का निरस्तीकरण और शामिल राशि	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा की गई कार्रवाई

अनुबंध XXI

[भाग क, खंड I, पैराग्राफ 2.क.i देखें।]

उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क

1. उपयोगकर्ता वर्गीकरण

i. किसी उपयोगकर्ता को व्युत्पन्नी अनुबंध प्रदान करने के उद्देश्य से, प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ता को या तो खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में या गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत करेगा।

ii. निम्नलिखित उपयोगकर्ता गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र होंगे:

क. वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा नियंत्रित सभी संस्थाएं, संबंधित विनियामक की सामान्य या विशेष अनुमति के अधीन

ख. एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

ग . 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल मालियत वाली कंपनियां

घ . व्यक्तियों के अलावा भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति

iii. जो उपयोगकर्ता गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र नहीं है, उसे खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

iv. जो उपयोगकर्ता अन्यथा गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने के पात्र है, उसके पास खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने का विकल्प होगा।

2. खुदरा उपयोगकर्ताओं के मामले में निर्देश

i. पात्र उत्पाद - फॉरवर्ड, कॉल और पुट ऑप्शन की खरीद (केवल यूरोपीय ऑप्शन), कॉल और पुट स्प्रेड की खरीद, स्वैप।

ii. खुदरा ग्राहकों के साथ सभी फॉरवर्ड संविदा प्रचलित इंटरबैंक/बाजार दरों पर निष्पादित किए जाएंगे और उन पर तारीख अंकित की जाएगी। अन्य सभी व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए, संविदा की शुरूआत करने से पहले व्युत्पन्नी के मिड-मार्केट मार्क से ग्राहक को अवगत कराया जाए और इसे टर्म शीट में शामिल किया जाना चाहिए। एक व्युत्पन्नी का मध्य-बाजार चिह्न व्युत्पन्नी की वह कीमत है जो लाभ, क्रेडिट रिजर्व, हेजिंग, वित्त पोषण, चलनिधि, या किसी अन्य लागत या समायोजन से मुक्त है।

iii. संविदा से संबंधित सभी लागू शुल्क / आढ़त/ सेवा शुल्क आदि प्राधिकृत व्यापारी द्वारा पृथक रूप से लिया जाएगा और संविदा की कीमत का हिस्सा नहीं होगा।

3. गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं के मामले में निदेश

i. पात्र उत्पाद - कवर्ड ऑप्शन सहित कोई भी व्युत्पन्नी संविदा, जिसे प्राधिकृत व्यापारी स्वतंत्र रूप से कीमत और मूल्य दे सकता है और जो प्राधिकृत व्यापारी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो, बशर्ते कि किसी भी परिदृश्य में उपयोगकर्ता को व्युत्पन्नी लेनदेन से संभावित नुकसान उस नुकसान से अधिक न हो जो उपयोगकर्ता को सामना करना पड़े यदि वह पोजीशन को हेज किए बिना छोड़ देता है। इस प्रतिबंध का पालन करने की जिम्मेदारी प्राधिकृत व्यापारी पर होगी जो उपयोगकर्ता को उत्पाद की पेशकश करता है।

ii. सभी नए उत्पादों को अपने ग्राहक को पेश करने से पूर्व प्राधिकृत व्यापारी के निदेशक बोर्ड (या इसके समकक्ष) द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए।

परिशिष्ट

जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन विषयक मास्टर परिपत्र में समेकित अधिसूचनाओं की सूची

क्रम संख्या	अधिसूचना/परिपत्र	तारीख
1	अधिसूचना संख्या फेमा 25/2000-आरबी	3 मई, 2000
2	अधिसूचना संख्या फेमा 28/2000-आरबी	5 सितंबर, 2000
3	अधिसूचना सं. फेमा 54/2002-आरबी	5 मार्च, 2002
4	अधिसूचना सं. फेमा 66/2002-आरबी	27 जुलाई, 2002
5	अधिसूचना सं. फेमा 70/2002-आरबी	26 अगस्त, 2002
6	अधिसूचना सं. फेमा 81/2003-आरबी	8 जनवरी, 2003
7	अधिसूचना सं. फेमा 101/2003-आरबी	3 अक्टूबर, 2003
8	अधिसूचना सं. फेमा 104/2003-आरबी	21 अक्टूबर, 2003
9	अधिसूचना सं. फेमा 105/2003-आरबी	21 अक्टूबर, 2003
10	अधिसूचना सं. फेमा 127/2005-आरबी	5 जनवरी 2005
11	अधिसूचना सं. फेमा 143/2005-आरबी	19 दिसंबर 2005
12	अधिसूचना सं. फेमा 147/2006-आरबी	16 मार्च, 2006
13	अधिसूचना सं. फेमा 148/2006-आरबी	16 मार्च, 2006
14	अधिसूचना सं. फेमा 159/2007-आरबी	17 सितंबर, 2007
15	अधिसूचना सं. फेमा 177/2008-आरबी	1 अगस्त, 2008
16	अधिसूचना सं. फेमा 191/2009-आरबी	20 मई, 2009
17	अधिसूचना सं. फेमा 201/2009-आरबी	5 नवंबर, 2009
18	अधिसूचना संख्या फेमा 210/2010-आरबी	19 जुलाई, 2010
19	अधिसूचना संख्या फेमा 226/2010-आरबी	16 मार्च, 2012
20	अधिसूचना संख्या फेमा 240/2010-आरबी	25 सितंबर 2012
21	अधिसूचना संख्या फेमा 286/2013-आरबी	5 सितंबर 2013
22	अधिसूचना संख्या फेमा 288/2013-आरबी	26 सितंबर 2013
23	अधिसूचना संख्या फेमा 303/2014-आरबी	21 मई, 2014
24	अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.1/ईडी (सीएस) - 2015	10 दिसंबर, 2015
25	अधिसूचना संख्या एफएमआरडी.2/ईडी (सीएस) - 2015	10 दिसंबर, 2015
26	अधिसूचना संख्या फेमा 365/2016-आरबी	1 जून, 2016
27	अधिसूचना संख्या फेमा 378/2016-आरबी	25 अक्टूबर, 2016
28	अधिसूचना संख्या फेमा 384/2017-आरबी	17 मार्च, 2017
29	अधिसूचना संख्या फेमा 388/2017-आरबी	24 अक्टूबर, 2017
30	अधिसूचना संख्या फेमा 398/आरबी-2020	18 फरवरी, 2020

जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन विषयक मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम संख्या	परिपत्र	तारीख
1	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 92	4 अप्रैल, 2003
2	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 93	5 अप्रैल, 2003
3	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 98	29 अप्रैल, 2003
4	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.108	21 जून 2003
5	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 28	17 अक्टूबर 2003
6	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 46	9 दिसंबर 2003
7	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 47	12 दिसंबर 2003
8	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 81	24 मार्च, 2004
9	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 26	1 नवंबर 2004
10	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 47	23 जून 2005
11	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 03	23 जुलाई 2005
12	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं 25	6 मार्च, 2006
13	ईसी.केंका.एफएमडी.सं. 8/02.03.75/2002-03	4 फ़रवरी 2003
14	ईसी.केंका.एफएमडी.सं. 14/02.03.75/2002-03	9 मई 2003
15	ईसी.केंका.एफएमडी.सं.345/02.03.129 (नीति)/2003-04	5 नवंबर 2003
16	ईसी.केंका.एफएमडी.1072/02.03.89/2004-05	8 फ़रवरी 2005
17	ईसी.केंका.एफएमडी.2/02.03.129 (नीति)/2005-06	7 नवंबर 2005
18	ईसी.केंका.एफएमडी.21921/02.03.75/2005-06	17 अप्रैल 2006
19	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.21	13 दिसंबर 2006
20	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.22	13 दिसंबर 2006
21	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.32	8 फ़रवरी 2007
22	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.52	8 मई 2007
23	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.66	31 मई 2007
24	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.76	19 जून 2007
25	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.15	29 अक्टूबर 2007
26	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.17	6 नवंबर 2007
27	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.47	3 जून 2008
28	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 05	6 अगस्त 2008
29	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.23	15 अक्टूबर, 2008
30	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.35	10 नवंबर 2008
31	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.50	4 फ़रवरी 2009
32	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.27	19 जनवरी 2010
33	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.05	30 जुलाई 2010
34	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.32	28 दिसंबर 2010
35	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.60	16 मई 2011
36	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.67	20 मई, 2011

37	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.68	20 मई, 2011
38	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.3	21 जुलाई, 2011
39	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.50	23 नवंबर 2011
40	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.58	15 दिसंबर 2011
41	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.63	29 दिसंबर 2011
42	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.68	17 जनवरी 2012
43	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.122	09 मई, 2012
44	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.3	11 जुलाई, 2012
45	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.13	31 जुलाई, 2012
46	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.21	31 अगस्त, 2012
47	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.30	12 सितंबर 2012
48	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.45	22 अक्टूबर, 2012
49	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.86	1 मार्च, 2013
50	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.121	26 जून, 2013
51	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.2	4 जुलाई 2013
52	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.7	8 जुलाई, 2013
53	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.17	23 जुलाई 2013
54	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.18	1 अगस्त, 2013
55	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 36	4 सितंबर 2013
56	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 40	10 सितंबर 2013
57	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 61	10 अक्टूबर, 2013
58	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 92	13 जनवरी, 2014
59	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 96	20 जनवरी, 2014
60	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 114	27 मार्च, 2014
61	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 119	7 अप्रैल, 2014
62	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 135	27 मई, 2014
63	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 147	20 जून, 2014
64	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 148	20 जून, 2014
65	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 28	8 सितंबर 2014
66	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 34	30 सितंबर 2014
67	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.58	14 जनवरी, 2015
68	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं.78	13 फरवरी, 2015
69	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 90	31 मार्च, 2015
70	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 91	31 मार्च, 2015
71	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 103	21 मई, 2015
72	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 112	25 जून, 2015
73	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 20	8 अक्टूबर, 2015
74	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 28	5 नवंबर, 2015
75	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 35	10 दिसंबर, 2015
76	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 78	23 जून, 2016

77	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 30	2 फ़रवरी 2017
78	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 41	21 मार्च, 2017
79	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 3	10 अगस्त, 2017
80	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 8	12 अक्टूबर, 2017
81	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 11	9 नवंबर, 2017
82	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 18	26 फरवरी, 2018
83	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 15	6 जनवरी, 2020
84	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 23	27 मार्च, 2020
85	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 29	7 अप्रैल, 2020
86	ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 31	18 मई, 2020

इन परिपत्रों को फेमा, 1999 और उसके तहत जारी किए गए नियमों/विनियमों/निदेशों/आदेशों/अधिसूचनाओं के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए।